

प्रारूप - एक
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

कोरबा, दिनांक 08/02/2022

क./1587 /क/भू-अर्जन/2022

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है,
अर्थात् :-


जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	करतला	तुमान	2.117 हे.	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जन

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई
दिनांक 04/03/2022 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन तुमान नियत की गई है।
प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत भूमि अर्जन
 - प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 39
 - अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : निरंक
 - प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
 - प्रभावित क्षेत्र में भासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या : निरंक
 - क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हां
 - क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है? : हां
 - परियोजना की कुल लागत : - लाख
 - परियोजना से होने वाले लाभ : आवागमन की सुविधा हेतु
 - प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं।
 - परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक
- उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


3/2/22

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला-कोरबा


(राम साहू)

कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग